खादी ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन

(जनपद चम्पावत के विशेष संदर्भ में)

डॉ उषा पन्त जोशी एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)

मोती राम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (हल्द्वानी)

अनु पाण्डेय (शोधार्थी अर्थशास्त्र विभाग)

मोती राम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (हल्द्वानी)

सारांश

'महात्मा गांधी जी के शब्दों में "खादी वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है" क्योंकि उनके अनुसार खादी से स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही उसको उपयोग करने, क्रय करने व धारण करने से उन लोगों की भी आजीविका सुनिश्चित होती है जो इस कार्य को कर रहे हैं। आजादी के लगभग एक दशक बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना **"खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई है[1]."** जिसका विकास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। इसकी स्थापना भी ग्रामीण आर्थिक विकास को लक्ष्य बनाकर की गई थी, जिसने कई हद तक अपने लक्ष्य को पूरा भी किया। खादी आजादी से पूर्व तक आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सशक्त संस्थान रहा है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्र में हजारों संस्थानों ने कई लोगों को रोजगार सृजन कराया था। लेकिन समय के साथ–साथ खादी की स्थिति व सम्मान में कमी ने खादी को नजरअंदाज कर दिया, परिणामतः कई संस्थान बंद हो गए। खादी की इसी बिगडती स्थिति में सुधार करना ही वर्तमान में खादी कमीशन की प्राथमिकता का क्षेत्र बन गया है।

उक्त शोधपत्र का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग की प्रासंगिकता के अध्ययन के साथ जनपद में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थिति एवं संभावनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन करना है।

कुंजी शब्द – खादी, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आर्थिक विकास, खादी कमीशन।

प्रस्तावना

"खादी वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है।" महात्मा गाँधी जी के शब्दों में ही खादी की प्रासंगिकता छिपी हुई है, जो खादी की स्वदेशी भावना को राष्ट्र हित से जोड़ती है। महात्मा गाँधी जी हमेशा ही स्वदेशी की भावना का सर्मथन करते थे। उनके अनुसार यही भावना राष्ट्र विकास के साथ राष्ट्र प्रेम के लिये भी आवश्यक है। उनकी इसी विचारधारा के प्रयास से आजादी के एक दशक बाद खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना "खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई" जिसका उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु कार्य करना सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु कई कार्य सुनिश्चित किये गये, जिसमें ग्रामीण विकास हेतु केन्द्रों की स्थापना करना, ग्रामीण विकास हेतु योजना निर्माण व योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचार–प्रसार, सुविधाओं व सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना के साथ ही इसका मुख्यालय मुम्बई में स्थापित किया गया और इसके अन्य संभागीय कार्यालयों की स्थापना दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुम्बई व गुवाहाटी में भी स्थापित किये गये हैं। आयोग के सफल संचालन हेतु प्रत्येक राज्यों में भी इसके कार्यालय स्थापित किये गये हैं, जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति के सफल संचालन हेतु निरन्तर कार्यशील भी हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था आरम्भ से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था कही जाती है, जहाँ श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहा है। उसी श्रम की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये ही ग्रामोद्योग पर आधारित आर्थिक विकास का स्वप्न गाँधी जी द्वारा देखा गया था। किन्तु बदले औद्योगिकरण ने मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिसमें मशीनों के प्रयोग ने श्रम को प्रतिस्थापित किया, इस स्थिति में खादी एवं ग्रमोद्योग दोनों श्रम संयोजकारी उद्योग कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये उद्योग धन्धे विकासशील राष्ट्र में उपलब्ध अतिरिक्त श्रम साधन का संयोजन कर उसे उत्पादक बनाने में सहायक हैं। इसके साथ ही कम पूँजी प्रयोग के कारण भी इन उद्योगों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। पूँजी की कम आवश्यकता के कारण इसे सुगमता से ग्रमीण क्षेत्रों में

संचालित किया जा सकता है, जो ग्रामीण आर्थिकी का एक व्यवहार्य विकल्प बन कर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रीय असमानताओं, बेरोजगारी व पलायन रोकने का उपचारात्मक विकल्प मानी गयी है।

गाँधी जी ने अपने आर्थिक दर्शन में तीन विचारों को ही केन्द्र माना था, जिसमें खादी, ग्रामीण उद्योग व नमक आधार स्तम्भ थे, जिसमे सें उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था को आम जनता तक पहुँचाने के लिये अधिक समावेशी बनाने हेतु गाँव से जुड़ना आवश्यक है, जिसके लिये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन किया जाना चाहिये। जो ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के साथ राष्ट्र के आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनायेगा। जिसमें उन्होंने छोटे–छोटे उद्योगों (कुटीर उद्योगों) यथा घड़ा बनाना, सुथार, बढ़ई, मोची द्वारा किये जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी। इस प्रकार के कुटीर उद्योगों द्वारा घर बैठे रोजगार सृजन किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा भी घर में बैठकर चरखे के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार स्वराज के साथ–साथ गाँवों के विकास द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति सम्भव है। **गाँधी जी के शब्दों में "भारत का मोक्ष उसके कुटीर धन्धों में निहीत है।** [2]"

खादी आजादी से पूर्व तक रोजगार प्रदान करने वाला सशक्त संस्थान हुआ करती थी, जिसमें 1000 से अधिक संस्थान राष्ट्र में क्रियाशील थे, जिनमें कई व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। लेकिन समय के साथ–साथ खादी की स्थिति व सम्मान में कमी ने खादी को नजरअंदाज कर दिया। परिणामतः कई संस्थान बंद हो गए। जिसको देखते हुए खादी की बिगड़ती दशा को सुधारने का कार्य खादी कमीशन की प्राथमिकता का क्षेत्र बन गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम खादी की बढ़ती प्रभावशीलता से लगाया जा सकता है। जो पारंपरिक परिधानों से शुरू होकर आज के परिवेश के प्रचलित फैशन की आपूर्ति कर रही है। इसका प्रमाण देश के डेनिम उत्पादन में कार्यकारी सबसे बड़ी मिल, अरविंद मिल है, जिसके डेनिम की 1 बिलियन मील की आपूर्ति खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त रितु बेरी, छप्प कुछ प्रसिद्ध डिजाइनर संस्थायें खादी को युवाओं हेतु विकसित कर रही है, जिसमें खादी को वर्तमान फैशन व चलन के अनुरूप नया रूप दिया जा रहा है व विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से इन्हें बाजार में स्थान दिया जा रहा है। खादी के प्रचार–प्रसार हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग ने एयर इण्डिया के साथ एक करार किया है जिसमें एयर इण्डिया के चालक दल के सदस्यों की वर्दी खादी के कपड़े से बनी होगी, जिससे खादी का प्रचार देश विदेश में होगा। यह प्रयास खादी की मार्केटिंग में सहायक होगा साथ ही सरकार द्वारा आगामी पाँच वर्ष में खादी आयोग के माध्यम से 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना भी है। जो खादी के विकास में सराहनीय प्रयास सिद्ध होगा।

जनपद चम्पावत में खादी एवं ग्रामोद्योग की प्रासंगिकता

"उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387 दिनांक 17 अगस्त, 2002 द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया।[3]" राज्य में प्राचीन काल से ही भेड़ पालन, व्यवसाय का प्रमुख साधन रहा है, जिसके कारण यहाँ की 65 प्रतिशत वन भूमि में लगभग 15 प्रतिशत चरवाह भूमि उपलब्धता का होना है। राज्य ने अपनी इसी प्राकृतिक संपदा का प्रयोग कर चम्बा, अल्मोडा व श्रीनगर में तीन ऊन उत्पादन केन्द्र स्थापित किये हैं, जिसके अधीन 20 उत्पादन केन्द्रों में ऊन की कताई व बुनाई का कार्य किया जा रहा है। जिसमें वर्ष "2014–15 तक 320 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था।[4]" इसी प्रकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रीय संतुलित विकास का संचालन किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सीमान्त जनपद चम्पावत में जिले की स्थापना के साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जनपद की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाता रहा है। वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग की दर्जनों योजनाओं में से दो प्रमुख योजना रोजगार/स्वरोजगार हेतु संचालित की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व व्यक्तिगत ब्याज उत्पादान योजना ही संचालित हैं। जिसमें से व्यक्तिगत ब्याज उपादन योजना को विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में समाप्त कर दिया गया है।

राष्ट्र में रोजगार के नवीन अवसरों को उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रीय आर्थिकी को सशक्त करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15 अगस्त 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रारम्भ किया गया है। जिसका संचालन जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत उद्यमी को राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से 25 लाख तक वित्त पोषण की सुविधा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जा रहा है। योजना से लाभान्वित हो जनपद में वर्ष 2018–19 तक कुल 361 इकाई जिसमें 1550.41 लाख धनराशि का निवेश हुआ है, जिसने 1547 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा संचालित दूसरी महत्वपूर्ण योजना व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादन है जिसके अन्तर्गत राज्य के अन्दर स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से 5 लाख तक का वित्त पोषण किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत उद्यमी को उद्योग लगाने पर 4 प्रतिशत ब्याज देय है। अवशेष अन्तर ब्याज अधिकतम 10 प्रतिशत तक ब्याज उपादान के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के माध्यम से लाभार्थी के ऋण खाते में जमा किया जाता है।

उक्त योजना के माध्यम से जनपद में वर्ष 2016–17 तक कुल 560 इकाईयाँ जिसमें 1064.685 लाख धनराशि का निवेश हुआ है। साथ ही 1053 उद्यमियों को रोजगार प्रदान किया गया है। जनपद में खादी एवं ग्रामोद्योग की उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत जनपद में निर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें फैब्रिकेशन, विनिर्माण, कम्प्यूटर असेम्बलिंग, ऑटो सर्विस सेन्टर, आयरन पॉट, सैटरिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा बैग निर्माण, चप्पल बनाना, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, डी0जे0 / म्यूज़िक आदि को लाभान्वित किया है। जिसके माध्यम से लाभान्वितों ने स्वरोजगार से अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त खादी केन्द्र द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु पंजीकृत केन्द्रों में गाँधी आश्रम में 10 प्रतिशत (रिबेट) छूट गाँधी जयन्ती 2 अक्टूबर से 1 जनवरी तक प्रदान की जाती है। जिसका उद्देश्य खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही स्वरोजगार एवं रोजगारपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी समन्वय की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जाती रही है। योजना अन्तर्गत स्थापित इकाईयों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु विपणन व व्यापार के लिये औद्योगिक मेलों, प्रदर्शनियों, हैन्डलूम ट्रेड फेयर, नेशनल हैन्डलूम एक्सपो, क्राफ्ट बाजार, गाँधी शिल्प बाजार आदि का आयोजन भी किया जाता है। विभाग द्वारा समय–समय पर युवाओं में स्वावलम्बी रोजगार की भावना उत्पन्न करने हेतु कौशल विकास हेतु औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है।

फूड प्रोसेसिंग में दर्जनों छोटी–छोटी इकाईयों के अतिरिक्त कुछ बड़ी इकाईयाँ बड़े पैमाने में उत्पादन कर जिले के भीतर व जिले के बाहर अपने उत्पादों का विक्रय भी कर रही हैं जिसमें शर्मा फल संरक्षण (भिंगराड़ा), चौड़ाकोटी फल संरक्षण (सूखीढ़ांग), स्टील कार्य में ओम स्टील जिला उद्योग केन्द्र के कार्य अन्य उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होने सामान्य से कुछ वृहद स्तर पर अपने कार्य क्षेत्र का विकास कर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा है।

निष्कर्ष–

ग्रामीण आर्थिक उत्थान के बिना राष्ट्र के आर्थिक विकास की कल्पना निरर्थक है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत सुदृढ़ अवस्था में थी, जिसका श्रेय हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों को था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर0सी0दत्त के अनुसार "बुनाई भारत वर्ष का एक राष्ट्रीय उद्योग था जिससे लाखों महिलायें एवं पुरूष जुड़े हुए थे।" भारतीय वस्त्र एवं कुटीर उद्योगों के इतिहास को देखते हुए इसकी आर्थिक प्रासंगिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भी लगभग 50 लाख लोग खादी और ग्रामोद्योग इकाईयों और संबन्धित संस्थानों में कार्य करते हुए सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इससे भी अधिक संख्या में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पोषित आर्थिक सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ प्रप्त कर रहे हैं। वर्ष 2016 तक राष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा व उसके सहयोग से कुल 3,91,344 उद्योग कार्यरत हैं, जो लोगों में स्वावलम्बन उत्पन्न कर रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं।

जनपद में खादी एवं ग्रामाद्योग की प्रासंगिकता अपेक्षाकृत अन्य जनपदों से अधिक प्रभावशासली नहीं दिखाई देती। खादी के अन्तर्गत केवल विपणन केन्द्रों की ही स्थापना की गयी है व ग्रामोद्योग के अन्तर्गत निर्माण व सेवा क्षेत्र की कुछ ही इकाईयाँ कार्यरत हैं। जनपद की भौगोलिक विषमता यहाँ पर वृहद उद्योगों हेतु अनुकूल नहीं है। अतः इस पर्वतीय जनपद में छोटे–छोटे उद्योग धन्धों का संचालन कुशलता से किया जा सकता है। जनपद प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद भी अपने संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं कर पाया है। जिसका कारण उद्यमिता की भावना में कमी के साथ साहस का अभाव है व कई पक्षों में जागरूकता की कमी भी। कई बार विभाग द्वारा दिये जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षणों में सम्मिलित होने के बावजूद भी व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित कार्य भी नहीं किया जाता है, न ही विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को फॉलो अप किया जाता है। साथ ही उत्पादित वस्तुओं के विपणन या एकत्रण हेतु विभाग की कोई ठोस नीति नहीं होने के कारण भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। जिस कारण योजना अन्तर्गत स्थापित कई इकाईयाँ स्थापना के कुछ ही समय में बंद कर दी गई। कई मामलों में ऋण प्राप्ति की जटिल प्रक्रिया ने भी लोगों को हतोत्साहित किया है।

निष्कर्षतः जब वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र की आवश्यकता ही स्वदेशी बन गयी है, इन उद्योगों का विकास ही इस भावना का सशक्त विकल्प है। जनपद की विशिष्ट भौगोलिक प्राकृतिक संपदा के अनुकूल ही उद्योगों की स्थपना को प्रोतसाहित कर नये क्षितिज की खोज, न्वोनमेष, स्थानीय जन सहभागिता ही इस दिशा के आधार स्तम्भ है। संस्थापित लघु इकाईयों के अतिरिक्त संभावित उद्योगों की दिशा में भी विचार किया जाना चाहिये। उन नवीन संभावित क्षेत्रों हेतु सशक्त प्रभावी नीतियों का निर्माण विभाग, सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इस दिशा में जनपद में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की व्यापक संभावनाए हैं। इसके अतिरिक्त फूलों की खेती कर संबंधित उद्योग, आयुर्वेदिक व औषधीय पौधों पर आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, चाय उद्योग, काष्ठ उद्योगों के नवीन आयामों का विकास कर जन सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये जो जनपद की आर्थिकी के विकास में सशक्त प्रयास सिद्ध होकर राज्य के विकास में सहयोगी बनेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1– ूण्नाअपइण्वतह
2– सिन्हा वी सी, भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 119
3– ूण्नाअपइण्वतह
4– औद्योगिक विकास विभाग (चम्पावत) वार्षिक प्रतिवेदन
5– खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग (चम्पावत) मासिक प्रगति सूचना
6– पूर्वोक्त